अनुसूची 14 फारम सं0 562

आदेश-पत्रक

(दिखे अभिलेख हस्तक; 1941 का नियम 139)

आदेश पत्रक ता0 .... तक

वाद सं0-60/2021

केस का प्रकार - अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत।

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
22.09.2021	**पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 6085/सी0आर0, दिनांक 18.09.2021** द्वारा (संलग्न **अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी** के **पत्रांक 881 दिनांक 14.09.2021**) अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी **टुनटुन बहरदार, पिता-स्व0 चैतु बहरदार, सा0-बेला बिन्दटोली, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** एक कुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है। वर्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। वर्त्तमान में इनका क्रियाकलाप बहुत ही संदिग्ध है। जिसके फलस्वरूप आगामी **पंचायत चुनाव 2021** के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। **इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-** **1. सरसी थाना कांड संख्या-105/2010 दिनांक-09.11.2010, धारा- 379 भा0द0वि0** **2. बनमनखी / सरसी थाना कांड संख्या-39/2005 दिनांक-22.02.2005, धारा- 307 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/37/35 आर्म्स एक्ट** **3. सरसी थाना सनहा संख्या-23/2021 दिनांक-01.09.2021** **4. सरसी थाना सनहा संख्या-65/2021 दिनांक-03.09.2021** **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा इस अपराधकर्मी के गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया है। विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार से स्पष्ट होता है कि उक्त अपराधकर्मी के विरूद्ध वर्ष 2010 के बाद कोई काण्ड दर्ज नहीं हुआ है। साथ ही उक्त अपराधी के विरूद्ध शस्त्र	

अधिनियम के तहत् दर्ज काण्ड में दोष सिद्ध होने का प्रतिवेदन नहीं है। फलतः अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत् विपक्षी के विरूद्ध कार्रवाई का पर्याप्त आधार नहीं बनता है।

चूँकि **थानाध्यक्ष, सरसी / अनुण्डल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी, पूर्णिया एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा विपक्षी की गतिविधि संदिग्ध बताई गई है तथा यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि **पंचायत निर्वाचन 2021** के अवसर पर उनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पर निर्वाचन के दौरान निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

अतः **थानाध्यक्ष, सरसी** को निदेश दिया जाता है कि **टुनटुन बहरदार, पिता-स्व0 चैतु बहरदार, सा0-बेला बिन्दटोली, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** पर **पंचायत निर्वाचन 2021** के दौरान निगरानी रखेंगे। यदि इनके द्वारा शांति भंग या अन्य आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत् विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति **जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया** को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु **जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

23/09/21
जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

ज्ञापांक 2317 / विधि, दिनांक 23/09/2021

प्रतिलिपि:- थानाध्यक्ष, सरसी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी / जिला जन सम्पर्क पदा0 पूर्णियाँ एवं / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23/9/21

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
पूर्णियाँ
2181
23-9-21